भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3633

10 दिसम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

राशन कार्ड की प्रक्रिया को आसान बनाना

3633. श्री तपन कुमार गोगोई:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार असम में एनएफएसए-13 से बाहर रह गए लोगों के लिए राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए असम सहित देश की 75 प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है; इस प्रकार कुल आबादी के दो-तिहाई आबादी को कवर किया गया है। इस अधिनियम के अधीन लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों के तहत की गई है - केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक और दिशा-निर्देशों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अधीन कवर किए गए परिवार तथा शेष परिवार प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में, जिनकी पहचान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर उनके द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा की जानी अपेक्षित है।

असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन चयन करने/लाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य 2,52,18,001 है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए डाटाबेस में संदिग्ध अपात्र लाभार्थियों के नाम काटकर और उनके स्थान पर नए चयनित पात्र लाभार्थियों को शामिल करके राज्य सरकार के निदेश के अनुसार जिला/उप-सम्भाग में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का चयन करना और उन्हें शामिल करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

डाटा बेस में अपात्र लाभार्थियों के नाम काटने और उनके स्थान पर नव-चयनित पात्र लाभार्थियों को शामिल करने की सतत प्रक्रिया के कारण दिनांक 06.12.2019 की स्थिति के अनुसार असम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लाभार्थियों की संख्या 2,48,96,805 है।

******